जनपद बाराबंकी

दिनांक- 03.09.2024

"Operation Conviction" के तहत चिन्हित अभियोग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व 1,00,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया -

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “Operation Conviction” कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/कर्म0गण/पैरोकार द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में थाना रामसनेहीघाट पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 152/2019 धारा 376(3) भादवि 06 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त पप्पू पुत्र राजाराम उर्फ जगेसर निवासी ग्राम बाजपुर थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट नं0-45 बाराबंकी द्वारा दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 1,00,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी। उपरोक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे महिला सम्बन्धी/जघन्य सनसनीखेज अपराध के तहत चिन्हित अभियोग है ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 17.04.2019 को थाना रामसनेहीघाट क्षेत्रान्तर्गत निवासी जनपद बाराबंकी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध वादी की नाबालिग नातिन के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी। उक्त सूचना के आधार पर थाना रामसनेहीघाट पर मु0अ0सं0-152/2019 धारा 376(3) भादवि व 06 पॉक्सो एक्ट बनाम पप्पू पुत्र राजाराम उर्फ जगेसर निवासी ग्राम बाजपुर थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अभियोग उपरोक्त में आरोपी पप्पू को दिनांक 26.04.2019 को गिरफ्तार कर 74 दिवस में आरोप पत्र माननीय न्यायालय दाखिल किया गया ।

पुलिस/अभियोजन टीम-

1-श्री अनूप कुमार मिश्रा विशेष लोक अभियोजक अधिकारी ए0एस0जे0 कोर्ट नं0-45 जनपद बाराबंकी
2-निरीक्षक श्री विनोद कुमार यादव प्रभारी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
3-हे0का0 अमर बहादुर सिंह मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
4-म0हे0का0 प्रतिमा द्विवेदी, म0का0 अंशू द्विवेदी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
6-का0 आदर्श कुमार मिश्र, का0 नीरज कनौजिया मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
7-का0 मनोज कुमार पैरोकार रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी
8- कोर्ट मो0 हे0का0 विवेक कुमार मिश्र कोर्ट नं0-45 जनपद बाराबंकी